न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	02.01.2023	05.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामबाबू मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन निवासी बापू बाजार झिलाई तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रामबाबू कमलेश कुमार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025 मोबाईल नं0 9461627391।

2–मैसर्स रामबाबू कमलेश कुमार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पिनकोड–304025।

3–श्री सत्यनारायण जैन पुत्र श्री बंशीधर जैन निवासी एफ–81 दीनदयाल कॉलोनी स्अेट बैंक के पास निवाई जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स सत्यनारयण विनोद कुमार बडा बाजार निवाई जि टोंक राज0। पिनकोड–304021

4– मैसर्स सत्यनारयण विनोद कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

5–श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी बी–82 एल.एस.नगर नयाखेड़ा विद्याधर नगर जयपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज0। पिनकोड 302012 मोबाईल नं0 9029032422

6– मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर राज0। पिनकोड 302012

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 05.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 07.10.2022 को समय 04:00 पीएम मैसर्स रामबाबू कमलेश कुमार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर खादयकारोबरकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री रामबाबू मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रामबाबू कमलेश कुमार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले, रिफाईड पाम ऑयल व अन्य खादय प्रदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री रामबाबू मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामबाबू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले, रिफाईड पाम ऑयल के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 20 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री श्री रामबाबू मित्तल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री रामबाबू मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया । दुकान की रैंक में लगभग 20 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एमल. पैक में से **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** के बैच नम्बर एसटी–20 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2022 थी, की ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम एल. पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** के 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम एल. पैक ज्यों का त्यों मूल अवस्था में अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3289 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3289 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री श्री रामबाबू मित्तल पुत्र श्री भैरूलाल जैन निवासी बापू बाजार झिलाई तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सत्यनारयण विनोद कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स सत्यनारयण विनोद कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच1–37, रीको इण्ड. एरिया सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 3566 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 2918 / एक्ट / 2022 / 2956 दिनांक 18.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल(श्री गोपाल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000 / – (अक्षरे पच्चास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0